न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 39/2022 दायर दिनाँक 07.02.2022

वादी

1. रामनिवास पुत्र हणुताराम उम्र 27 वर्ष जाति खाती निवासी सिंगरावट कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. पार्वती देवी पत्नि हणुताराम उम्र 45 वर्ष
2. ओम प्रकाश पुत्र हणुताराम
3. सुमन जांगीड़ पुत्री हणुताराम समस्त जाति खाती निवासीगण सिंगरावट कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
4. सुरेन्द्र पुत्र हणुताराम
5. मुला राम पुत्र हणुताराम समस्त जाति खाती निवासीगण सिंगरावट कलां हाल निवासी काझी पट्टी, रजा कॉलोनी उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
6. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री पूर्णसिंह बोहरा वकील वादी।
2. श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील प्रतिवादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 13.04.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि ग्राम सिंगरावट कलां पटवारी क्षेत्र बालिया, भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बी कंला में कृषी0सं0 भूमि खसरा सं0 384/764 रकबा 0.2700 हैक्टे0 चाही तृतीय अवस्थित है जो भूमि संयुक्त खातेदारी में वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज। जिसके वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 तथा 4 ता 5 खातेदार काबिज काश्तकार है।

यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि उक्त खसरा जो उपरोक्त वर्णित है जिसके वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार बंट कर रखा है। प्रतिवादी सं0 02 ओमप्रकाश अपने बाल्यकाल में अपने भुआ के यहा ग्राम ललाणा कंला तहसील परबतसर के गोद चला गया था, तब से लेकर प्रतिवादी सं0 02 ग्राम ललाणा में रही रहवास निवास करता है, तथा उसके समस्त दस्तावेज उसी ग्राम के है, परन्तु वादी के पिता स्व0 हणुताराम के देहान्त के बाद विरासत के म्युटेशन के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा 4 व 5 का नाम खातेदारी में आया जबकि प्रतिवादी सं0 3 पुत्री होने के बावजुद सामिल खातेदारी में नाम सहवन से छुट गया जिसको प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 02 ओमप्रकाश अपने भुवा के गांव गोद चले जाने से समस्त दस्तावेज वह खातेदारी में प्रतिवादी सं0 2 ओमप्रकाश के पिता का नाम मदन लाल आसल्या व माता का नाम राधा देवी निवासी ललाणा के रूप में नाम दर्ज हो गया, जब से प्रतिवादी सं0 02 ओमप्रकाश का ग्राम सिंगरावट कंला की उपरोक्त वर्णित भूमि में से नाम को हटाया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :—

यह है कि उपरोक्त [illegible] भूमि [illegible] कब्जे काश्त के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 04 ता 05 [illegible] नक्शे में दर्शाये अनुसार बंटवारा बाई मिट्स [illegible] नाम अमल दरामद किया जावे तथा [illegible] किया जावे जिनका हिस्सा निम्न प्रकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

1. वादी रामनिवास पुत्र हणुताराम कौम खाती के बंट में आई भूमि – खसरा सं0 384/764 रकबा 0.2700 हैक्टे0 में से 0.900 हैक्टे0 भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
2. प्रतिवादी सं0 04 सुरेन्द्र पुत्र हणुताराम कौत खाती के बंट में आई भूमि – खसरा सं0 384/764 रकबा 0.2700 हैक्टे0 भूमि में से 0.900 हैक्टे0 भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
3. प्रतिवादी सं0 05 मुलाराम पुत्र हणुताराम कौम खाती के बंट व हिस्से में आई भूमि :– 384/764 रकबा 0.2700 हैक्टे0 भूमि में से 0.900 हैक्टे0 भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।

यह है कि प्रतिवादी सं0 01 वादी की माता व प्रतिवादी सं0 2 वादी की बहन होने से वे अपने बंट की भूमि अपने भाई व अपने पुत्रों के नाम कर देने से वे अपना हिस्सा उक्त भूमि में से नही लेना चाहते इसलिए इनका नाम खातेदारी में से हटा दिया जावें। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 02 ओम प्रकाश का उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही होने से उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में से नाम हटा दिया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01, 04 व 05 का इकबालिया जबाब पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 02, 03, 06 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सिंगरावट कंला खेत खसरा सं0 384/764 भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार की जाती है।

1. वादी रामनिवास पुत्र हणुताराम कौम खाती के बंट में आई भूमि – खसरा सं0 384/764 रकबा 0.2700 हैक्टे0 में से 0.900 हैक्टे0 भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
2. प्रतिवादी सं0 04 सुरेन्द्र पुत्र हणुताराम कौत खाती के बंट में आई भूमि – खसरा सं0 384/764 रकबा 0.2700 हैक्टे0 भूमि में से 0.900 हैक्टे0 भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
3. प्रतिवादी सं0 05 मुलाराम पुत्र हणुताराम कौम खाती के बंट व हिस्से में आई भूमि :– 384/764 रकबा 0.2700 हैक्टे0 भूमि में से 0.900 हैक्टे0 भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं0 01 वादी की माता व प्रतिवादी सं0 03 वादी की बहन होने से वे अपने बंट की भूमि अपने भाई व अपने पुत्रों के नाम हक तर्क कर देने व प्रतिवादी सं0 02 गोद चले जाने के कारण इनका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **13.04.2022** को [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:26 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 39/2022 दायर दिनाँक 07.02.2022

वादी

1. रामनिवास पुत्र हणुताराम उम्र 27 वर्ष जाति खाती निवासी सिंगरावट कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. पार्वती देवी पत्नि हणुताराम उम्र 45 वर्ष
2. ओम प्रकाश पुत्र हणुताराम
3. सुमन जांगीड़ पुत्री हणुताराम समस्त जाति खाती निवासीगण सिंगरावट कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०।
4. सुरेन्द्र पुत्र हणुताराम
5. मुला राम पुत्र हणुताराम समस्त जाति खाती निवासीगण सिंगरावट कलां हाल निवासी काझी पट्टी, रजा कॉलोनी उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
6. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 13.04.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूर्णसिंह बोहरा वकील वादी व श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील प्रतिवादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सिंगरावट कंला खेत खसरा सं० 384/764 भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार की जाती है।

1. वादी रामनिवास पुत्र हणुताराम कौम खाती के बंट में आई भूमि – खसरा सं० 384/764 रकबा 0.2700 हैक्टे० में से 0.900 हैक्टे० भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
2. प्रतिवादी सं० 04 सुरेन्द्र पुत्र हणुताराम कौत खाती के बंट में आई भूमि – खसरा सं० 384/764 रकबा 0.2700 हैक्टे० भूमि में से 0.900 हैक्टे० भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।
3. प्रतिवादी सं० 05 मुलाराम पुत्र हणुताराम कौम खाती के बंट व हिस्से में आई भूमि :– 384/764 रकबा 0.2700 हैक्टे० भूमि में से 0.900 हैक्टे० भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं० 01 वादी की माता व प्रतिवादी सं० 03 वादी की बहन होने से वे अपने बंट की भूमि अपने भाई व अपने पुत्रों के नाम हक तर्क कर देने व प्रतिवादी सं० 02 गोद चले जाने के कारण इनका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:06:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner